<u>1</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक ४३२ / २०१४ईफौ</u>

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 432 / 2014</u> <u>संस्थापित दिनांक 02 / 06 / 2014</u> फाइलिंग नं. 230303006682014

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मौ, जिला भिण्ड म०प्र0

> > <u>.....अभियोजन</u>

बनाम

1. केशव किशोर पुत्र मोहन सिंह परिहार उम्र 25 साल निवासी— वार्ड क0 15 थाना लहार जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279 एवं 338 भा०द०स०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार ।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री दाताराम बंसल।)

<u>:- नि र्ण य -::</u> (आज दिनांक 24/02/2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 08.04.2014 को लगभग 15:30 बजे मघन तिराहा स्योड़ा रोड़ मौ में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राजीव की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर फरियादी राजीव को चोट पहुचाकर उसे गंभीर उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279 एवं 338 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2014 को फरियादी राजीव अपनी मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 07 के0जी0 9524 से मौ जा रहा था। करीबन साढे तीन बजे वह मघन तिराहा के पास आया था तो मौ की तरफ से एक मोटरसाईकिल प्लेटिना बजाज क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 का चालक मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों मोटरसाईकिल जमीन पर गिर गई थी एवं उसके बाये बखोरा एवं बायी पसली में मूंदी चोट आई थी तथा मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 के चालक व उसमें बैठी सवारी की भी चोटे आई थी, मौके पर घटना के समय और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अपराध क0 144/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढकर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.04.2014 को 15:30 बजे मघन तिराहा स्योड़ा रोड़ मौ में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए फरियादी राजीव की मोटरसाईकिल में टककर मारकर फरियादी राजीव को चोट पहुंचाकर उसे गंभीर उपहति कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 फरियादी राजीव त्रिपाठी अ०सा० 2, राजू सिंह कुशवाह अ०सा 3, डॉ० आर० बिमलेश अ०सा० 4, ए०एस०आई बी०एल० सोनिरया अ०सा० 5, प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह यादव अ०सा० 6, सेवानिवृत प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ०सा० 7 , प्रवेश परिहार अ०सा० 8 एवं डॉ० सुनील गजेन्द्र गणकर अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1एवं 2

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी राजीव त्रिपाठी अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी केशव किशोर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण जानता है। घटना 8 अप्रैल 14 के दिन के साढे तीन बजे की है। वह रावतपुरा सरकार से अपनी मोटरसाईकिल से ग्वालियर आ रहा था। मौ से करीब तीन किलोमीटर पहले मोटरसाईकिल कृ० एम०पी० 30 एम०जी० 9411 का चालक मोटरसाईकिल का चालक मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था और उसके सामने से टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गया था और उसकी पसलिया टूट गई थी एवं उसके कंघे में फ्रेक्चर हो गया था। उसके बाये हाथ कॉलरबोन एवं पसलियों में फ्रेक्चर हुआ था। वह झाईवर को नहीं पहचान सकता है। उसने थाना मौ में रिपोर्ट की थी, जो प्र0पी० 1 है जिसपर उसने निशानी अंगूटा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क० 02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मनोज मिश्रा उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर थे।
- 09. साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 ने भी फरियादी राजीव त्रिपाठी अ०सा० 2 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी केशव किशोर द्वारा मोटरसाईकिल से फरियादी राजीव की मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 10. साक्षी राजू कुशवाह अ०सा० 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन ह ाटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र नक्शामौका प्र०पी० 2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है कि

मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 के चालक ने उसके सामने मोटरसाईकिल को चलाते हुए मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 07 के0जी0 9424 में टक्कर मार दी थी।

- 11. साक्षी प्रवेश परिहार अ०सा० 8 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी केशव किशोर को जानता है, वह उसकी बुआ का लड़का है। उसके पास मोटरसाईकिल कृ० एम०पी० 30 एम०जी० 9411 है। उक्त मोटरसाईकिल का वह अधिकृत स्वामी है। उसकी मोटरसाईकिल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। केशविकशोंर उसकी मोटरसाईकिल को नहीं ले गया था, उसने पुलिस को कोई प्रमाणीकरण नहीं दिया था। प्रमाणीकरण प्र०पी० ७ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० ५ एवं जब्ती पंचनामा प्र०पी० ६ के कमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि केशविकशोर से उसकी गाडी थाने पर जब्त हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पद कृ० 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर कोरे कागज पर कराये थे।
- 12. साक्षी डॉ० आर० बिमलेश अ०सा० 4 द्वारा फरियादी राजीव की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 4 को प्रमाणित किया गया है। डॉ०. सुनील गजेन्द्र गणकर अ०सा० 9 द्वारा प्र०पी० 7 की चिकित्सकीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। सेवानिवृत प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ०सा० 7 द्वारा प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं ए०एस०आई० बी०एल० सुनरिया अ०सा० 5 तथा प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह अ०सा० 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।
- 13. तर्क के दौरान बचाव अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 14. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजीव त्रिपाठी अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह रावतपुरा सरकार से अपनी मोटरसाईकिल से ग्वालियर आ रहा था तो मौ से करीब तीन किलोमीटर पहले मोटरसाईकिल क0 एम०पी० 30 एम०जी० 9411 के चालक ने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसके चोटे आ गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी केशविकशोर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए पहचानता है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि वह ब्राईवर को नहीं पहचान सकता है। इस प्रकार राजीव त्रिपाठी अ०सा०2 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान के संबंध में मिन्न मिन्न कथन दिए गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक तरफ तो यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी केशविकशोर को एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण जानता है। वहीं दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह ब्राईवर को नहीं पहचान सकता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी राजीव अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह तो बताया है कि एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण केशविकशोर को जानता है, परन्तु उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी आरोपित मोटरसाईकिल क0 एम०पी० 30 एम०जी० 9411 को चला रहा था एवं आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी।
- 15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी राजीव अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण वह केशव किशोर को जानता है परन्तु यह बात उसके द्वारा प्र०पी० 1 की रिपोर्ट एवं अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। यदि वास्तव में फरियादी राजीव ने आरोपी केशविकशोर को मौके पर दुर्घटना कारित करते हुए देखा था तो इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फरियादी राजीव के पुलिस कथन में अवश्य होता, परन्तु प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी केशविकशोर द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख नहीं है। इस कारण उक्त बिन्दु पर फरियादी राजीव अ०सा० 2 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से भी विरोधाभाषी रहें हैं। फरियादी राजीव अ०सा० 2 में यह भी बताया है कि वह झाईवर को नहीं पहचान सकता है। अतः फरियादी राजीव अ०सा० 2 के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी केशव किशोर ने घटना दिनांक को वाहन दुर्घटना कारित की थी।

- 16. साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 ने भी अपने कथन में आरोपी केशविकशोर द्वारा मोटरसाईकिल क० एम०पी० 30 एम०जी० 9411 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए फरियादी राजीव की मोटरसाईकिल में टक्कर मार देना बताया है एवं यह भी बताया है कि आरोपी केशविकशोर भी मोटरसाईकिल से गिर गया था तथा वाद—विवाद कर रहा था, परन्तु यह बात उसके द्वारा अपने पुलिस कथन प्र०डी० 1 में नहीं बताई गई है। साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 के पुलिस कथन में आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करने का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 का कथन प्र०डी० 1 के पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहा है। मनोज मिश्रा अ०सा० 1 ने यह भी बताया है कि केशविकशोर भी मोटरसाईकिल से गिर गया था, परन्तु केशविकशोर की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है। मनोज मिश्रा अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि केशविकशोर के साथ दो लड़के और थे एवं केशव ने उसी टाईम अपना नाम व पता बताया था, परन्तु यह बात भी साक्षी मनोज द्वारा अपने पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। इस प्रकार साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा परचात्वर्ती प्रकम पर अपने कथनों में सुधार करते हुए आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करना बताया गया है, ऐसी स्थित में साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 के कथनों से गरे वह विश्वास योग्य नहीं है एवं साक्षी मनोज मिश्रा अ०सा० 1 के कथनों से भी संदेह से परे यह
- 17. साक्षी प्रवेश परिहार अ०सा० 8 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा व्यक्त किया है कि उसकी मोटरसाईकिल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। केशविकशोर उसकी मोटरसाईकिल को नहीं ले गया था। उसने पुलिस ने को कोई प्रमाणीकरण नहीं दिया था। प्र0पी० ७ के प्रमाणीकरण पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे, वह पढ़ा—लिखा नहीं है। उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिये थे। इस प्रकार साक्षी प्रवेश परिहार अ०सा० 8 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा प्र0पी० ७ का प्रमाणीकरण पुलिस को देने से इंकार किया है। अतः साक्षी प्रवेश परिहार अ०सा० 8 के कथनों से भी आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी केशवकिशोर ने वाहन दुर्घटना कारित की थी।

- 18. ए०एस०आई० बी०एल० सुनिरया अ०सा० 5 एवं प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह यादव अ०सा० 6 द्व ारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। ए०एस०आई० बी०एल० सुनिरया अ०सा० 5 ने आरोपी से मोटरसाईकिल जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी० 6 तैयार करना बताया है, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 08.04. 2014 की है एवं प्र0पी० 6 के जब्ती पंचनामे के अनुसार आरोपी से मोटरसाईकिल की जब्ती दिनांक 02.05.2014 को गई है। ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपी से दिनांक 02.05.2014 को मोटरसाईकिल जब्त की गई थी, तो भी इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी घटना दिनांक 08.04. 2014 को आरोपित मोटरसाईकिल चला रहा था एवं आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी।
- 19. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी राजीव त्रिपाठी अ०सा० 2 एवं मनोज मिश्रा अ०सा० 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथन आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किये जाने के बिन्दु पर विश्वास योग्य नहीं है। साक्षी राजू सिंह अ०सा० 3 एवं प्रवेश परिहार द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के बिरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। डाँ० आर० बिमलेश अ०सा० 4, बी०एल० सुनरिया अ०सा० 5, प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह यादव अ०सा० 6 एवं निहाल सिंह अ०सा० 7 एवं डाँ० सुनील गजेन्द्र गणकर अ०सा० 9 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाईकिल क० एम०पी० 30 एम०जी० 9411 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.04.2014 को लगभग 15:30 बजे मघन तिराहा स्योड़ा रोड़ मौ में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी राजीव की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर फरियादी राजीव को चोट पहुचाकर उसे गंभीर उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी केशविकशोर को संदेह का लाभ देते हुये उसे भा.दस की धारा 279 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

23. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0जी0 9411 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 24.02.18 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०) सही / —
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)